

"प्र० 26"
(नियम 4क देखिए)

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
DISTRICT SCORE MUZAFFARPUR

भारत

STAMP DUTY
0000/-

बिहार
JUDICIAL

62130

COURT FEE

Authorization No. 2217

MUZAFFARPUR
NOTARY
INDIA

STAMP DUTY
0000/-

BIHAR

2890

Serial No. 37432

Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two**Zero***



15 मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक प्रभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं २१ अप्रैल २०११ **पुत्र/पुत्री/पत्नी ८१८ चौथा अहनी
आयु ४९ वर्ष, जो ग्राम - रजानीश्वरी, बोगुलुरु
थाना - भुशाली, ज़िला - मुजफ्फरपुर (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं काम्य नियम ४१८ अंग इडिया (नियम ४१८-लिङ्ग) के लिए राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम ११. वीष्टां (अ.आ.) विधानभारा निर्वाचन क्षेत्र, १०४-विलास
50 के क्रम से 61 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९५५१२२०३०७ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...
शुभम है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

संसदीय निर्वाचन



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	CHZPS4891R	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	2602

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं में जिनकी प्राप्ति की गयी है। सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	मुजियाबी वाला कांडा-०५७/९३ गोला-मुग्गपाल पुर, लिहाड़ आलीपुर वाला-०५७/९५, मुग्गपाल पुर, लिहाड़ कुशारी वाला-०५७/९५, मुग्गपाल पुर, लिहाड़ लीपाल वाला-०५७/१०, मुग्गपाल पुर, लिहाड़
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	① १५३/१४८/१४९/३०५/३२४/३२५/३२६/ ३७३/३३७/३३३/३२१/४२५ (मुग्गपाल पुर) ② १५७/११/१५९/१५४८/३५१/३४२/३२३/३२९/ (मुग्गपाल पुर) ③ १५३/१४८/३८०/४५४८/३०७/४२६/४३६/४५७ (मुग्गपाल पुर) ④ १५१/१५८/३४१/३५३ (मुग्गपाल पुर)
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	① अनुप्रस्तुत व्यापारिक व्यापारिक -५५४०-२२-३-१५ ② मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक -५५१९-५-५-१९८६ ③ मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक -५५१९-११-१०८८ ④ मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक -५५१९-१६-१-२६२ ⑤ लिहाड़ व्यापारिक व्यापारिक -५५१९-१६-१-२६२ ⑥ मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक, मुग्गपाल पुर ⑦ मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक, मुग्गपाल पुर ⑧ मुग्गपाल व्यापारिक व्यापारिक, मुग्गपाल पुर
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	① मनिलाली वाला कांडा-०५७/९३ - ५-५-२०११ ② अलीपुर धाम -०५७/९५ - २८-२-२००६ ③ मुग्गपाल वाला -०५७/९५ - ३-३-२००८ ④ लीपाल वाला -०५७/१० - १८-६-२०१३
(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	०५७/१०/१५८/३२६
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	०५७/१०/१५८/३२६



21 जुलाई २०१८

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
 {पूर्वोक्त} - पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2), में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं



संशोधन सदनी

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी श्रीमति/मैत्री	आश्रित - 1 श्री-प्रभान्न	आश्रित - 2 श्री-उमा	आश्रित - 3 श्री-प्रसादी
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	1000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1000/- अन्य 1000/- श्रीमति/मैत्री 3.9.2009 5135, Mysore, 1000/- (21.3.2014) AC No - 3313 4971666	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



श्रीनुभव सहनी.

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	Policy No - 13253574 भारत 18/5/1 - 500/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (सेक इंजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	शुल्क भार - 100/- मूल्य - 3000/- बौरे - 100/- शुल्क - 4500/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	19000/-	35.500/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क
आ. स्थावर आस्तियों के बौरे						

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	मस्ति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1 अवासी 1 डीए/ भागवान - 102, रामा 10-102, 103, 114, 200 534, 585, 544, 139.	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तरीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



C
संयुक्त नाम संदर्भ

	विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	प्रतीक्षा का	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क कृष्ण मुख्य प्रभावी दर 182/534	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5100 रुपये	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000 रुपये	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



✓ शास्त्रधन सदस्यी

क्रय की तारीख	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पृ० हि० ४०५०.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	पृ० ४०५०. हि० ३०५०.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	मति या पत्ती शब्दालेख	आश्रित -1 पुरी-पुरंको।	आश्रित -2 पुरी-गान्धी	आश्रित -3 पुरी-परम्परा।
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	किसानकृषि भूर्ज-शुभलेख शम्भवकृष्णलाल परमानन्द-पुराणम् 50 हि० ५०.	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	कोई अन्य दायित्व	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	दायित्वियों का कुल योग	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	आय-कर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ



✓ शासुद्धन रहस्यी

धनकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
सेवाकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
विक्रयकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
कोई अन्य शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ३५/६

(ख) प्रति या पत्नी ३५/८

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

प्राथमिक शिक्षा, महाविद्यालय रोड़ा (मुमुक्षु)

मा-१९८०

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



C
श्रावण छहनी.

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कु० श्रीनाथजी पटेल पटेल - अमिताभपटेल, वि० - गीता(गांधी)पटेल			
2	डाक का पता	५१४-८८८०५३६५६, ५००-मुशाबिहारी मुशाबिहारी, बिल १-मुशाबिहार(मुशाबिहार)			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	१५, मुशाबिहार रूपरेखा नगरपालिका। १५८ क० नाम - श्रीमती			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा रवतंत्र लिखें)	कामनिमूर पारा(ओर डॉड्या)(मुशाबिहार)- लेनिनिमूर) निवासन			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	श्रीमती			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	श्रीमती			
7		भारतीय कानूनों का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	CHZPS ५८९१R	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती
	(ख) पति या पत्नी	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती
	(ग) आश्रित	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती
8	आस्तियां और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)				
	विवरण	रुपये	मति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	१२,०००/- (वारेंटार्स)	३८,५००/-	श्रीमती	श्रीमती
ख	स्थावर आस्तियां	२०,०००/- ८५,११२१	श्रीमती	श्रीमती	श्रीमती



શાસ્ત્રધન લઘુની

	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
9	दायित्व	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50,000/-	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा	शुभा
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : प्राप्तिक (शुभा), मास विद्यालय रोडुआ (मुश्ति) मध्य - १९४०					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



श्रीमुखन लहरी

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 16.4.2014 को सत्यापित किया गया।

I know and identify the above statement made by me is true and correct. I am aware that if I make any false statement or conceal any information, I shall be liable to punishment under the law.

अभिसाक्षी
नाम 16.4.2014

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जॉच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 91911220301"

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य.....



The Deponent, Sincerely
affirm and declare before
me, that he/she has/have deposed
by Advocate.

श्रुत्यन एवज